झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 32 वर्ष 2022

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्री पवन विश्वकर्मा, वार्ड सदस्य एवं अन्य लाभार्थी, ग्राम + पंचायत - बाजी, प्रखण्ड - पड़वा, जिला-पलामू

बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू।

DISPOSED
18/07/22

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	परिवादी श्री पवन विश्वकर्मा, वार्ड सदस्य एवं अन्य, ग्राम+पंचायत–कजरी, प्रखण्ड–पड़वा, जिला–पलामू का परिवाद–पत्र आयोग द्वारा जारी व्हाट्सएप नं0 पर दिनांक–14.12.2021 को प्राप्त हुआ था, जिसमें उनके द्वारा राशन कार्ड में परिवार के सदस्य का नाम जोड़े जाने हेतु किये गये आवेदन पर अबतक कार्रवाई नहीं किये जाने की शिकायत की गयी है। आयोग के पत्रांक–WA/096/2021 दिनांक–28.12.2021 द्वारा अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पलामू को 30 दिनों के अन्दर नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया एवं इसकी प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू को भेजी गई थी। इस संबंध में अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पलामू के स्तर से कार्रवाई प्रतिवेदन आयोग को अप्राप्त है। दिनांक–18.07.2022 को पूर्वाह्न 10:30 बजे परिसदन भवन, मेदिनीनगर में राज्य खाद्य आयोग द्वारा पलामू जिला के आयोग में विचाराधीन सभी वाद/अपीलवाद की सुनवाई किया जाना है आयोग द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पलामू को प्रेषित ऐसे परिवाद पत्र जिनके निष्पादन की सूचना आयोग को प्राप्त नहीं है, की भी सुनवाई पलामू परिसदन में दिनांक–18.07.2022 को किया जाय। उक्त के क्रम में परिवादी, अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी को अपना–अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस किया जा चुका है। अभिलेख 18.07.2022 को उपस्थापित करें। (शबनम परवीन) सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

C:\Users\Anju\Dropbox\Anju\आदेश.docx38

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
18.07.2022	वाद सं0–32/2022 के मामले में आज दिनांक–18.07.2022 को परिसदन भवन, मेदिनीनगर, पलामू में सुनवाईं की गई। अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। सुनवाई में उपस्थित शिकायतकर्ता का कहना है कि आयोग में शिकायत दर्ज कराने के बाद उनका शिकायत का निपटारा हो गया है। शिकायतकर्ता की सहमति से वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। (शबनम परवीन) सदस्या, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Chairman's visit\Palamu\Commission's order.docx2	